

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1. अपील संख्या – 975 / 2013 / जोधपुर.
2. अपील संख्या – 976 / 2013 / जोधपुर.

मैसर्स श्री वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स,
28 / 3, गोल बिल्डिंग रोड, जोधपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री दीपचंद माली, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी. पी. ओझा,

उष-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से


निर्णय दिनांक : 30 / 03 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या उपाजो/कर-1/2012-13 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 28.01.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 16.2.2012 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिना बिल जारी किये माल का विक्रय किया जाकर करापवंचन किया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से करापवंचन का मामला होने से प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) को प्रेषित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 3.4.2012 के लिये दिनांक 27.03.2012 को नोटिस जारी किया गया। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 31.01.2012 को ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रकरण का फैसला उसी दिन करने का निवेदन किया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधियों वर्ष



लगातार.....2

2010-11 व 2011-12 (16.02.2012 तक) वेट अधिनियम की धारा 25, 61, 55 एवं 25, 61, 75(8) व 68(3) के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.03.2012 को पारित करते हुए उचन्ति बिक्री पर 5/14 प्रतिशत से वेट, ब्याज व शास्ति सहित कुल मांग रूपये क्रमशः 2,15,554/- एवं 12,86,095/- की मांग सृजित की गई। अपीलार्थी ने उक्त दोनों प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.3.2012 को प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये। प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेशों दिनांक 28.01.2013 से अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेशों से अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत दायर प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये हैं। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरणों में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।

5. राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिस की पालना में अपना अपराध स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किये जाने की दिनांक को ही फैसला किये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचन्त बिक्री पर नियमानुसार कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है तथा प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मनोवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरणों को प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।



6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यानुसार अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच में पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिना बिल जारी किये उचन्ति बिक्री की गई है। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिसों की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी दिन फैसला करने का निवेदन किया गया है, जिसे मद्देनजर रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचन्त बिक्री पर निर्धारित दर से कर, ब्याज एवं कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रकरणों को प्रशमन कराने हेतु अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत किये गये, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेशों दिनांक 28.01.2013 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अस्वीकार कर दिये। अतः नैसर्गिक न्याय के स्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं कहे जा सकते हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत भी व्यवहारी के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञापक है। नियम 48 उद्धरित करना सुसंगत होगा :-


48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,-

Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

7. विधायिका ने वेट अधिनियम का प्रावधान 68 अनावश्यक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में फंसने से बचाने हेतु प्रावधित किया गया है। धारा 68 की सुसंगत उपधाराएं इस प्रकार हैं :-


68. Composition of offences. -

(1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.



लगातार.....4


- (2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (8) of section 75 or under sub-section (6) or (9) or (11) of section 76, the officer authorized under sub-section (4) of section 75 or the officers authorized under sub-section (4) of section 76 or Incharge of a check-post, as the case may be, may accept composition money from such person in lieu of penalty or prosecution, which shall be,—
- (a) in case of offence committed under sub-section (8) of section 75 or sub-section (6) of section 76, equal to the amount of four times of the tax leviable on the goods involved or twenty five percent of the value of such goods, whichever is less;
- (b) in case of offence committed by him under subsection (9) of section 76, equal to fifteen percent of the value of the goods;
- (c) in case of offence committed under sub-section (11) of section 76, equal to twenty five percent of the value of such goods.
- (4) The composition of any offence in lieu of penalty or prosecution under sub-section (2), shall be without prejudice to the liability of the person or dealer, charged with the offence, to pay the tax with interest so avoided or evaded or wrongly credited by him.
- (5) On the payment of the amount of composition determined under sub-section (2) and (3), no further proceeding under the provisions of this Act for imposition of penalty or launching of prosecution for the same offence, shall be initiated.
- (6) Notwithstanding anything contained in section 51, no amount of composition accepted and no amount of interest levied under this section, shall be waived or reduced by the Commissioner.
- (7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.



8. उपधारा (1) के तहत दायर प्रार्थना-पत्र को प्रशासनिक अधिकारी उपधारा (2) के तहत स्वीकार कर सकता है। इस प्रावधान में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के तहत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के अधिकार प्रदत्त हैं तथा 'may' शब्द उपयोग किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेशों में व्यवहारी के आवेदन-पत्रों को अस्वीकार किया है, लेकिन आदेश से पूर्व व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना विधिक आवश्यकता है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाकर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदनकर्ता व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त धारा 68 की भावना के मद्देनजर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।



(मनोहर पुरी)
सदस्य